कार्यालय अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दमोह (म.प्र.)

बरपाटी, संदीपानी विद्यालय के पास, नेशनल हाईवे–12, दमोह, म.प्र.–470661

ई–मेल : gmcdamoh@gmail.com

क्रमांक / स्था / राज / 26 / 175-177 दमोह, दिनांक 28 / 07 / 2026

/ / विज्ञप्ति सूचना / /

म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपल के आदेश कमांक 604 / 0286 / 17(1) भोपाल दिनांक 08 / 04 / 2026 के तहत प्रदान स्वीकृति एवं म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक 89 / 2–42 / 2007 / 1 / 55 (पार्ट) भोपाल, दिनांक 12.01.2024 द्वारा जारी सीनियर रेसीडेंट की प्रक्रिया एवं पात्रता शर्तों के अनुक्रम में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दमोह (म.प्र.) में वॉक–इन इंटरव्यू के माध्यम से सीनियर रेसीडेन्ट के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

रिक्तियों की स्थिति निम्नानुसार है :–

- साक्षात्कार का दिनांक एवं समय :–दिनांक 06.08.2026 (गुरूवार) प्रातः 10:00 बजे से।
- साक्षात्कार का स्थान :– कार्यालय अधिष्ठाता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर

सीनियर रेसीडेंट की मासिक शिष्यावृत्ति रु. 90,803 / – प्रतिमाह।

स क	विभाग	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछडा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल पद
21	एनाटॉमी	1	0	1	1	0	3
22	फिजियोलॉजी	1	0	1	1	0	3
23	बायोकेमिस्ट्री	1	0	1	1	0	3
24	फार्माकोलॉजी	1	0	1	1	0	3
25	पैथालॉजी	0	0	1	0	0	1
26	फोरेंसिक मेडिसिन	1	0	1	1	0	3
27	माइक्रोबायोलॉजी	1	0	1	1	0	3
28	कम्यूनिटी मेडिसिन	1	0	1	1	0	3
29	जनरल मेडिसिन	1	0	1	0	0	2
30	पीडियाट्रिक्स	1	0	1	1	0	3
31	डर्मेटोलॉजी	1	0	0	0	0	1
32	मनोरोग	0	0	0	0	0	0
33	जनरल सर्जरी	2	1	1	1	0	5
34	अस्थि रोग	0	0	1	1	0	2
35	ई.एन.टी	0	0	0	0	0	0
36	नेत्र रोग	1	0	0	1	0	2
37	प्रसूति एव स्त्री रोग	0	0	0	0	0	0
38	एनेस्थीसिया	1	0	1	1	0	3
39	रेडियोडायग्नोसिस	1	0	1	1	0	3
40	दंत रोग	0	0	0	0	0	0
	कुल पद संख्या	**15**	**1**	**14**	**13**	**0**	**43**

टीपः– पदों एवं विषयों की संख्या बढाई / घटाई जा सकेगी, जिसकी जानकारी समय–समय पर संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट https://medicaleducation.mp.gov.in एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर की वेबसाईट https://www.nscbmc.ac.in पर उपलब्ध कराई जावेगी।

नोटः– 1. साक्षात्कार हेतु आवश्यक अभिलेखों / प्रमाणपत्रों की मूलप्रति / रिटेन सर्टिफिकेट के साथ समस्त दस्तावेजों की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति के साथ उम्मीदवार को उपस्थित होना अनिवार्य होगा । इस हेतु पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

2. आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रहेगा।
3. उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

28/07/2026

(डॉ. अर्जुन सिंह)
अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दमोह (म.प्र.)

कार्यालय अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दमोह (म.प्र.)
बरपाटी, सदीपानी विद्यालय के पास, नेशनल हाईवे–12, दमोह, म.प्र.–470661

ई–मेल : gmcdamoh@gmail.com

सीनियर रेसीडेंट के पद पर आवेदन हेतु नियम/निर्देशः–

आवेदन पत्र जमा करने की प्रकियाः– अभ्यार्थियों को निर्धारित्र प्रपत्र में अपने पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र के साथ दिनांक 06.08.2026 (गुरूवार) को प्रातः 10 बजे तक साक्षात्कार स्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

आवेदन शुल्क :– सभी अभ्यार्थियों हेतु आवेदन निःशुल्क होगा।

साक्षात्कार :– दिनांक 06.08.2026 (गुरूवार) को प्रातः 10 बजे तक साक्षात्कार स्थल कार्यालय अधिष्ठाता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

नियम एवं निर्देश :– म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक 89/2–42/2007/1/55 (पार्ट) भोपाल, दिनांक 12.01.2024 द्वारा जारी सीनियर रेसीडेंट की प्रक्रिया एवं पात्रता निम्नानुसार होगी।

सीनियर रेसीडेन्ट

पात्रता :–

VII- सीनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु आवेदन जमा करने की तिथि के पांच (05) वर्ष के अन्दर एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./ डिप्लोमा/एम.डी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकत्सक पात्र होंगे।

VIII- चिकित्सक की उम्र 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।

IX- एन.एम.सी. द्वारा समय–समय पर जारी अर्हतायें स्वतः लागू होगी।

अपात्रता :–

XIII- एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस. पाठ्यक्रम की अध्ययनरत् अवधि में अधिष्ठाता/प्राचार्य, चिकित्सा/दन्त चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर चिकित्सकीय कार्य न किया जाना अथवा महाविद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।

XIV- विधि द्वारा स्थापित नियमों के विरूद्ध किसी अवधि के लिये चिकित्सकीय कार्यसे अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।

XV- पाठ्यक्रम अवधि में छात्र / छात्रा के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण संस्थित होना।

XVI- पाठ्यक्रम अवधि में पदीय कर्तव्यों में लापरवाही, अशिष्टता, अशोभनीय व्यवहार अथवा अनुशासनहीनता पाये जाने पर।

XVII- बिन्दु (i) से (iv) में दर्शित कारणों से चिकित्सकीय कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति मे, ऐसे छात्र/छात्राऐं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित किसी संस्था में सेवा के लिये पात्र नही माने जायेगें ।

XVIII- उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में छात्र/छात्रा द्वारा पी.जी. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने पर संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण–पत्र मे उपरोक्त बिन्दुओं से संबंधित टीप अंकित की जायेगी ।

निरंतर : 02

चयन विधि :–

XIII- अधिष्ठाता द्वारा नोटिस बोर्ड, कॉलेज वेबसाईट के माध्यम से इन पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की जायेगी तथा अधिष्ठाता की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चिकित्सकों का चयन किया जायेगा।

XIV- चयन हेतु प्रथमतः प्राथमिकता विज्ञापन जारी करने वाले चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को दी जायेगी। तत्पश्चात मध्यप्रदेश के अन्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके पश्चात शेष रिक्त पदों के लिये प्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालय/अन्य प्रदेश के शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।

XV- चिकित्सक द्वारा जिस विषय में एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./डिप्लोमा/एम.डी.एस. किया है उसी विषय के लिए पात्रता होगी।

XVI- चयन का क्रम क्रमशः डिग्रीधारी, डी.एन.बी. डिप्लोमा होगा ।

XVII- विभिन्न विषयों में उत्तीर्ण एम.डी.एस. उम्मीदवारों का चयन पी.जी. (एम.डी.एस.) परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की गई मेरिट के अनुसार होगा।

XVIII- चयनित सीनियर रेसीडेन्ट को निजी प्रैक्टिस की पात्रता नहीं होगी।

अवधि (Tenure) :–

IX- टेन्युअर की अवधि अधिकतम 03 वर्ष होगी।

X- 01 वर्ष की टेन्योर अवधि पूर्ण होने पर विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित का कार्य संतोषप्रद होने संबंधी की गई अनुशंसा के आधार पर आगामी वर्ष के लिये बढ़ाया जायेगा।

XI- विभाग में पदस्थ सीनियर रेसीडेंट के संबंध में संबंधित विभागाध्यक्ष की प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने पर अधिष्ठाता को संबंधित विभागाध्यक्ष, सम्बद्ध चिकित्सालय के अधीक्षक तथा 02 वरिष्ठतम प्राध्यापक की गठित समिति के परामर्श से, ऐसे सीनियर रेसीडेन्ट की नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के अधिकार प्रदत्त होगा। इस प्रकार से पृथक किये गये चिकित्सक को इस पद हेतु पुनः आवेदन करने की पात्रता नही होगी ।

XII- विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित चिकित्सक के अनाधिकृत रूप से अवकाश पर रहने अथवा कार्य संतोषप्रद न होने संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के अधिकार अधिष्ठाता को प्रदत्त होगें ।

आरक्षण :–

VII- राज्य शासन द्वारा अद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।

VIII- निर्धारित आरक्षित/अनारिक्षत श्रेणी की रिक्त सीटों के विरूद्ध प्रथमतः संबंधित श्रेणी के प्रदर्शकों/ट्यूटरों/चिकित्सा अधिकारियों का चयन किया जायेगा। तदोपरांत सीनियर रेसीडेन्सी हेतु अन्य चिकित्सकों का चयन होगा।

IX- आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरूद्ध चिकित्सक उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी।

निरंतर :– 03

अवकाश :–

सीनियर रेसीडेंट को प्रति सप्ताह 01 दिवस अवकाश की पात्रता होगी तथा प्रतिवर्ष 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी, साप्ताहिक अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा। अवकाश के समस्त प्रकरणों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।

शिष्यावृति :–

मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित तत्समय प्रचिलत सीनियर रेसीडेन्ट हेतु शिष्यावृति देय होगी।

यात्रा भत्ता :–

साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यार्थी को यात्रा भत्ता इस संस्था द्वारा नहीं दिया जावेगा उन्हे स्वयं के व्यय पर यात्रा करना होगा।

अन्य शर्तें :–

13. इन चिकित्सकों का प्रत्येक 01 वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह में एक दिन अवकाश की पात्रता होगी यह अवकाश संचित नही किया जा सकेगा, इन पर रेसीडेन्ट्स से संबंधित सभी बातों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।
14. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त, की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
15. सेवा की अन्य शर्ते नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी ।
16. यदि कोई आवेदक किसी संस्था में पूर्व से कार्यरत है तो उसे आवेदन के समय ही नियोक्ता का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
17. उम्मीदवार को म.प्र. राज्य मेडिकल कौसिल भोपाल अथवा मेडिकल कौसिल ऑफ इंडिया से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।
18. अधिष्ठाता द्वारा सीनियर रेसीडेन्ट की विभागों में संख्या कार्य आवश्यकता अनुसार समय–समय पर परिवर्तित किया जा सकेगा ।

28/07/2026

(डॉ. अर्जुन सिंह)
अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दमोह (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/स्था/राज/26/175-177 दमोह, दिनांक 28/07/2026

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. संचालक, चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल की ओर।
2. अधिष्ठाता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर की ओर।

(डॉ. अर्जुन सिंह)
अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दमोह (म.प्र.)

आवेदन का प्रारूप

प्रति,

अधिष्ठाता,

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दमोह (म.प्र.)

विषय: शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मे सीनियर रेसीडेंट पद हेतु आवेदन।

सन्दर्भ: विज्ञप्ति क्रमांक दिनांक

आवेदित पद का नाम

आवेदित विभाग का नाम

नोट: सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण भरी जावे, अपूर्ण जानकारी दिये जाने की स्थिति मे आवेदन निरस्त किया जावेगा।

41	आवेदक का नाम	
42	पिता / पति का नाम	
43	पुरूष / महिला / अन्य	
44	आवेदक की श्रेणी (सामान्य / अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. / ई.डब्ल्यू.एस.)	
45	आवेदक दिव्यांग प्रवर्ग से है (हा / नही)	
46	दिव्यांगता की स्थिति मे दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत	
47	वर्तमान सस्था जहा पर कार्यरत है (निजी / शासकीय)	
48	वर्तमान निवास स्थान का पता (पिन कोड सहित)	
49	स्थाई पता (पिन कोड सहित)	
50	मोबाइल न.	
51	ईमेल आई डी	
52	आधार न.	
53	जन्मतिथि (हाई स्कूल की अकसूची सलग्न करे)	
54	दिनाक 01 / 01 / 2026 को आवेदक की आयु वर्ष मे	
55	आवेदक की वैवाहिक स्थिति (अविवाहित / विवाहित)	

56 शैक्षणिक योग्यता- स्नातक (Undergraduate) - (प्रमाण पत्र एव अकसूची की सत्यापित छायाप्रति सलग्न करे)

S.No	Name Of Exam	Institute/University	Year of Passing	Marks Obtained/Max. Marks	Percentage	Attempt

Average % of Under Graduation

No. of Additional Attempts (if any)

(नोट: प्रत्येक परीक्षा के प्रयास प्रमाण पत्र अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हो, सलग्न करे।)

57 शैक्षणिक योग्यता– स्नातकोत्तर (Postgraduate) – (प्रमाण पत्र एव अकसूची की सत्यापित छायाप्रति सलग्न करे)

S.No	Name Of Exam	Institute/University	Year of Passing	Marks Obtained/Max. Marks	Percentage	Attempt

58 शैक्षणिक योग्यताए (Super Specialiity/Others) - (प्रमाण पत्र एव अकसूची की सत्यापित छायाप्रति सलग्न करे)

S.No	Name Of Exam	Institute/University	Year of Passing	Marks Obtained/Max. Marks	Percentage	Attempt

59 मेडिकल कौसिल का पजीयन क्रमाक, नाम एव दिनाक

शैक्षणिक योग्यताए	पजीयन क्रमाक	कौसिल का नाम	दिनाक

60 सलग्न प्रमाण पत्रो की सूची

S.No	Certificates/ Documents	Yes/No/NA
1	High School Marksheet (Date of Birth)	
2	Undergraduate Marksheets	
3	Internship Completion Certificate	
4	Attempt Certificate of Undergraduate issued by Dean/Competent Authority	
5	Undergraduate Degree	
6	Undergraduate Medical/Dental Council registration	
7	Postgraduate Notification/Marksheet/Passing Certificate	
8	Attempt Certificate of Postgraduate issued by Dean/ Competent Authority	
9	Postgraduate Degree	
10	Postgraduate Additional Registration	
11	Certificate of Participation – Basic Course Workshop in MET	
12	Basic Course in Biomedical Research completion certificate	
13	Work/Teaching Experience Certificate issued by Dean/ Competent Authority	
14	Copy of Certificate for Awarded Research Paper	
15	Domicile Certificate issued by Competent Authority	
16	Caste Certificate issued by Competent Authority	
17	Adhaar Card	
18	Self Declaration letter regarding not working in any other Govt institution/department	
19	Undertaking as per Annexure 1 or 2	
20	NOC from current employer in case of working in Govt./Semi Govt./Autonomous Medical/Dental College	
21	*Others if any*	

स्थान –
दिनाक

आवेदक का पूरा नाम एव हस्ताक्षर

// घोषणा पत्र //

5 मै प्रमाणित करता / करती हू कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एव सत्य है। आवश्यक दस्तावेजो की कमी / जानकारी असत्य होने की दशा मे मेरा आवेदन पत्र / नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

6 मै प्रमाणित करता / करती हू कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध मे किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरूद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय मे विचाराधीन है।

आवेदक का पूरा नाम एव हस्ताक्षर

// शपथ पत्र //

मैं ..... पिता / पति ..... उम्र ..... वर्ष निवासी ..... चिकित्सा महाविद्यालय दमोह में ..... विभाग अन्तर्गत सीनियर रेसीडेंट के पद हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा / रही हूं।

यह कि मैं शपथ पूर्वक कथन करता / करती हूं कि :-

9. एम.डी. / एम.एस. / डी.एन.बी. पाठ्यक्रम की अध्ययनरत अवधि में अधिष्ठाता / प्राचार्य, चिकित्सा / दन्त चिकित्सा महाविद्यालय / संस्था द्वारा जारी निर्देशो का उल्लंघन कर चिकित्सकीय कार्य न किया जाना अथवा महाविद्यालय / संस्था से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित नही रहा / रही हूं।
10. विधि द्वारा स्थापित नियमो के विरूद्ध किसी अवधि के लिये चिकित्सकीय कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित नही रहा / रही हूं।
11. पाठ्यक्रम अवधि में मेरे विरूद्ध आपराधिक प्रकरण संस्थित नही है।
12. पाठ्यक्रम अवधि में पदुय कर्तव्यो में लापरवाही, अशिष्टता, अशोभनीय व्यवहार अथवा अनुशासनहीनता की कोई प्रतिकूल टिप्पणी संबंधित महाविद्यालय / संस्था द्वारा नही दी गई है।

उपरोक्त 1 से 4 तक उल्लेखित जानकारी सत्य है तथा भविष्य में कथन असत्य पाए जाने की दशा में चयन के किसी भी चरण पर मेरी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

शपथकर्ता का हस्ताक्षर.....